संख्या–1073/53–1–18–1(विविध)/2018

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक 19 नवम्बर, 2018

विषयः– "उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति–2018" के कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–824/दुग्ध नीति–2018, दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 दुग्ध नीति–2018 के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दुग्ध आयुक्त के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25–10–2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर शासन की अधिसूचना संख्या–1/2018/548/53–1–2018–1(विविध)/2018, दिनांक 07–06–2018 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति–2018 में उल्लिखित प्राविधानों के कियान्वयन हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :–

1. **नीति की अवधि/प्रस्तावों की पात्रताः**

इस योजना के अन्तर्गत वह दुग्ध इकाईयाँ पात्र होगी जो अधिसूचना संख्या–01/2018/548/53–1–2018–1(विविध)/2018 दि0–07–06–2018 की तिथि से पांच वर्ष तक की अवधि में प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य हेतु बैकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गये सावधि ऋण (टर्म लोन) की धनराशि संबंधित से प्राप्त कर ली हो। 05 वर्षो की समयावधि की गणना ऋण वितरण की प्रथम तिथि से की जायेगी।

2. **वित्तीय अनुदान एवं रियायतें:**

प्रदेश में दुग्ध उद्योग के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने हेतु एवं उद्योगों के विकास तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित कदम उठाये जायेंगे, जिनमें विभिन्न प्रकार की रियायतें, वित्तीय सुविधायें एवं अनुदान उपलब्ध कराये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति–2018 के अन्तर्गत पूँजीगत निवेश अनुदान, कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन तथा दुग्ध प्रसंस्करण अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर अनुदान, ब्याज उपादान, गुणवत्ता मानकीकरण प्रोत्साहन प्राविधान, पेटेंट/डिजाईन पंजीकरण प्राविधान, बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन तथा मानव विकास के प्राविधान किये जायेंगे। उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति–2018 के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाईयों को निम्नांकित रियायतें एवं अनुदान सुविधायें अनुमन्य होंगी:–

2.1 **पूँजीगत निवेश अनुदानः**

उ0प्र0 दुग्ध नीति–2018 के अन्तर्गत दुग्ध प्रसंस्करण आधारित इकाईयों की स्थापना, तथा पशुओं के लिए तकनीकी निवेश आधारित इकाई की स्थापना, विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण/उन्नयन पर प्लान्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 25 प्रतिशत जो अधिकतम धनराशि रू0 50.00 लाख की सीमा तक दो समान किश्तों में अनुदान

उपलब्ध कराया जायेगा। उद्यमी के पास ज्ञात स्रोतों से परियोजना हेतु धनराशि की उपलब्धता होने की स्थिति में ऋण लेने की अनिवार्यता नही होगी।

2.2 **ब्याज उपादानः–**

उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति–2018 के प्राविधान के अनुसार–

(क) योजनान्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु दुग्ध प्रसंस्करण इकाई द्वारा स्थापित किये गये प्लान्ट मशीनरी तथा स्पेयर पार्ट्स पर होने वाले व्यय हेतु बैंक/वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण पर देय ब्याज की दर का शत् प्रतिशत, अधिकतम 05 वर्ष तक पूर्ति की जायेगी।

(ख) अन्य दुग्ध प्रसंस्करण इकाई द्वारा स्थापित किये गये प्लान्ट, मशीनरी तथा स्पेयर पार्ट्स पर होने वाले व्यय हेतु बैंक/वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण पर देय ब्याज की दर का 7 प्रतिशत अथवा वास्तविक ब्याज की दर से जो कम हो, अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसकी अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष प्रति इकाई रू0 50.00 लाख तक होगी।

परन्तु, प्रस्तर–2.1 में प्रस्तावित पूंजीगत अनुदान एवं प्रस्तर–2.2 में प्रस्तावित बैंकों व वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने की दशा में अनुमन्य ब्याज उपादान सहित पांच वर्षो में अधिकतम धनराशि रू.250.00 लाख की सीमा तक ही अनुमन्यता होगी।

2.3–मानकीकरण प्रोत्साहन प्राविधानः

उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति–2018 के अन्तर्गत दुग्ध प्रसंस्करण के उत्पादों का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता/पर्यावरण प्रमाणीकरण एवं एक्रीडिटेशन जैसे आई0एस0ओ014001, आई0एस0ओ0 22000, एच0ए0सी0सी0पी0 तथा सेनेट्री/फाइटो सेनेट्री सर्टिफिकेशन आदि राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान की गयी फीस एण्ड टेस्टिंग चार्ज के सापेक्ष 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 1.50 लाख अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2.4– पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण प्राविधानः

उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति–2018 के अन्तर्गत पेटेन्ट/डिजाइन कें पंजीकरण हेतु दुग्ध प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा अधिकृत संगठनों/संस्थानों को भुगतान की गयी फीस का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.50 लाख अनुदान प्रतिपूर्ति एक बार देय होगी।

2.5– बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन प्राविधानः

उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति–2018 के अन्तर्गत दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों को विपणन के लिए बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन हेतु निम्नलिखित अनुदान एवं रियायतें उपलब्ध करायीं जायेंगीः–

क– प्रदेश में स्थापित दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अन्य देशों में उत्पाद का नमूना (सैम्पल) प्रेषित करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत जो अधिकतम रू0 02 लाख प्रति लाभार्थी अनुदान होगा। यह अनुदान एक इकाई को एक देश एवं एक नमूना तक सीमित होगा।

ख– राज्य में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु एयरपोर्ट/समुद्री पोर्ट तक उत्पाद परिवहन पर होने वाले वास्तविक व्यय का 25 प्रतिशत जो रू 10.00 लाख प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा तक 03 वर्षों तक प्रति लाभार्थी अनुदान होगा।

ग– राज्य में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन हेतु उत्पाद की एफ0ओ0बी0 (Freight on Board) मूल्य का 20 प्रतिशत जो अधिकतम रू0 20.00 लाख प्रतिवर्ष की दर से 03 वर्षों तक अनुदान होगा।

3– **आवेदन पत्र की प्राप्तिः**

वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर (प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं नम्बर अंकित कर) आवेदन वांछित अभिलेखों सहित तीन प्रतियों में स्टेट नोडल एजेसी (उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद) को प्रस्तुत करेंगे।

3.1 उद्योगों की स्थापना/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण से सम्बन्धित आवेदन व्यवसायिक उत्पादन शुरू किये जाने से कम से कम दो माह पूर्व नोडल एजेन्सी को प्राप्त होना आवश्यक

है। व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के उपरान्त उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों पर कार्यवाही नही की जायेगी। अनुदान हेतु आवेदन किये जाने की तिथि को शत–प्रतिशत् निर्माण कार्य, मशीन एवं उपकरणों की स्थापना तथा शत–प्रतिशत टर्म लोन उपयोग होने की दशा में अनुदान हेतु आवेदन ग्राहय नही होगा।

3.2 उद्योगों की स्थापना/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण हेतु ब्याज उपादान हेतु आवेदन, व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के विलम्बतम छः माह के भीतर निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किये जायेगें।

3.3 मानकीकरण प्रोत्साहन, पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण, बाजार विकास एवं ब्राण्ड।प्रमोशन तथा बैंकुवल प्रोजेक्ट सम्बन्धी, आवेदन, इकाई के व्यवसायिक उत्पादन में आने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त किये जायेगे।

4–कार्य क्षेत्रः–दुग्ध नीति–2018 सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश मे लागू होगी।

5–पात्र सेक्टरः– उ0प्र0 दुग्ध नीति–2018 के अर्न्तगत दुग्ध उद्योग के लिए निम्नांकित उद्योग सम्मिलित होंगेः–

- दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट की स्थापना।
- दुग्ध अवशीतन प्लांट/बल्क मिल्क कूलर की स्थापना।
- दुग्ध उत्पाद जैसे–घी, पनीर, खोया, चीज, बटर, मिल्क पाउडर, दही, फ्लेवर मिल्क, शिशु दुग्ध आहार, कंडेस्ड मिल्क, माल्टेड मिल्क फूड आदि के निर्माण, प्रसंस्करण एवं पैकिंग हेतु प्लांट की स्थापना।
- मूल्य सवंर्धित दुग्ध पदार्थ के निर्माण हेतु प्लांट की स्थापना।
- प्रदेश में "मेक इन यू0पी0" के अन्तर्गत दुग्ध उपार्जन/प्रसंस्करण/अवशीतन/विपणन से संम्बन्धित उपकरण, मशीनरी आदि स्थापित किये जाने हेतु प्लांट की स्थापना।
- दुग्ध जाँच से सम्बन्धित उपकरण, संयत्र निर्माण हेतु प्लांट की स्थापना तथा इससे सम्बन्धित शोध एवं विकास।
- हरा चारा बीज के उत्पादन के क्षेत्र में कार्य।
- प्रसंस्कृत दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, मूल्य सवंर्धित दुग्ध उत्पाद आदि का प्रबन्धन, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर का सृजन।
- दुग्ध उत्पाद बढाने हेतु 02, 04, 06, 08 एवं 10 पशुओं का क्रय।
- शीतलीकरण हेतु बल्क मिल्क कूलर एवं मिल्किंग मशीन का क्रय।
- देशी दुग्ध उत्पादों यथा घी, पनीर, खोया, आईसक्रीम आदि हेतु डेरी संयत्रों/उपकरणों के क्रय।
- दुग्ध जाँच संयत्र एएमसीयू/डीपीएमसीयू के क्रय।
- पशुशाला निर्माण (10 दुधारू पशुओं अथवा अधिक पर)।
- दुधारू पशुओं के टीकाकरण, डिवर्मिंग एवं मैस्टाइटिस कन्ट्रोल दवाओं आदि के निर्माण हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास।

6– पात्र संस्थायेः–

6.1– दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/उन्नयन/आधुनिकीकरण हेतु सभी क्रियान्वयन संस्थाये/संगठन यथा राजकीय/अर्धसरकारी/संयुक्त उपक्रम/गैर सरकारी संगठन/सहकारी संस्थाये/स्वयंसेवी संस्थायें/निजी क्षेत्र/व्यक्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

6.2–राज्य में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थानों, व्यावसायिक संस्थानों में दुग्ध प्रसंस्करण तकनीकी, पैकेजिंग तथा विपणन में स्नातक

एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने को प्रोत्साहित करेगी। इसके साथ ही पशुपालन क्षेत्र में स्थापित उन संस्थानों को भी प्रोत्साहित करेगी, जिसमें पशुओं की देख-भाल, पशुओं का प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण, प्रबन्धन तथा पशुपोषण प्रबन्धन इत्यादि की शिक्षा एवं उसका प्रशिक्षण दिया जाता हो। इन संस्थाओं को आधुनिकीकरण/ उच्चीकरण हेतु अवस्थापना सुविधाओं के सृजन, प्रयोगशाला उपकरण/तकनीकी/शैक्षिक पुस्तकें, मैगजीन, ई-जरनल/जरनल इत्यादि के क्रय हेतु होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत जो अधिकतम रू0 50.00 लाख का अनुदान देय है। इन संस्थाओं द्वारा भूमि, भवन, मानव संसाधन एवं अन्य आवर्ती व्ययों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। तकनीकी/शैक्षिक पुस्तकें, मैगजीन, ई-जरनल/जरनल इत्यादि की लागत मशीन उपकरणों की लागत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये।

7- पात्र/अपात्र घटकः-

(क) तकनीकी सिविल कार्यः-

इण्डस्ट्री में उत्पाद से सम्बन्धित उत्पादन प्रयोजन के निमित्त समस्त सिविल कार्य तकनीकी सिविल कार्य की पात्रता मे सम्मिलित होगें। सिविल कार्य से सम्बन्धित वे सभी कार्य जो उत्पादन या प्रसंस्करण से सम्बन्धित नहीं होगें वह इसके अन्तर्गत शामिल नहीं किये जायेगे। निम्नलिखित सिविल कार्य को तकनीकी सिविल कार्य की श्रेणी मे सम्मिलित नहीं किया जायेगाः-

(1) चहारदीवारी।
(2) सम्पर्क मार्ग।
(3) प्रशासनिक कार्यालय भवन।
(4) श्रमिक विश्राम गृह और श्रमिकों हेतु क्वाटर्स अथवा आवास।
(5) सफाई कक्ष।
(6) सिक्योरिटी गार्ड कक्ष या समकक्ष।
(7) सम्बन्धित परामर्श शुल्क।

(ख) प्लान्ट एवं मशीनरीः-

उद्योगों में दुग्ध उत्पाद के दृष्टिगत दुग्ध प्रसंस्करण की समस्त प्रक्रियाओं से सम्बन्धित निम्नलिखित उपकरण एवं मशीनरी योजनान्तर्गत पात्रता में सम्मिलित की जायेगी-

(1) आटोमेशन, मिक्सिंग, सेपरेशन, स्टेन्डराइजेशन, शुगर ट्रीटमेन्ट, क्लीनिंग एण्ड सेनेटाईजेशन, मिल्क प्रोडक्शन प्रोसेज, क्लैरिफिकेशन, फोर्टीफॉइग आदि।
(2) पाश्च्युराईजेशन, होमोजेनाईजेशन, इवैपोरेशन, ड्राइंग, स्टरलाईजेशन,कन्सन्ट्रेशन आदि।
(3) कैनिंग, एसेप्टिक पैकेजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग, बाटलिंग, लेबेलिंग, फिलिंग तथा अन्य विशेष पैकेजिंग आदि।
(4) फरमेन्टेशन तथा प्रसंस्करण हेतु अन्य विशेष सुविधायें आदि।
(5) कन्ट्रोल्ड टेम्प्रेचर, ट्रान्सपोर्ट कूलर, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट, इंसुलेटेड/ वेन्टीलेटेडट्रान्सपोर्ट।
(6) अन्य समस्त प्रसंस्करण/परीक्षण/यातायात भण्डार सुविधाएं जो कि मूल्य संवर्धन एवं सैल्फ लाईफ बढ़ाने से सम्बन्धित हो, पात्र होगे।

(ग) प्लाण्ट एवं मशीनरी में निम्नलिखित पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगाः-

(1) ईंधन/तेल, उपभोग की वस्तुयें एवं भण्डार सामग्री।
(2) विद्युत सामग्री (मशीनों में स्थापित उपकरण को छोड़कर)।
(3) कम्प्यूटर्स और सम्बन्धित कार्यालय फर्नीचर।
(4) परिवहन वाहन।
(5) स्थापन, संस्थापन और कमीशनिंग शुल्क।

(6) उपयोग की गयी/पुरानी मशीने/मरम्मत की हुई मशीनरी।
(7) समस्त प्रकार के सेवा शुल्क और परिवहन शुल्क।
(8) मशीनरी की पेंटिंग का व्यय।
(9) क्लोज सर्किट कैमरा एवं सम्बन्धित उपकरण।
(10) सम्बन्धित परामर्श शुल्क।
(11) स्टेशनरी से सम्बन्धित सामग्री।

8. आवेदन प्रपत्र के साथ वांछित अभिलेखः–

8.1 पूँजी निवेश अनुदान एवं ब्याज उपादान योजनान्तर्गत दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण उन्नयन द्वारा स्वीकृत दुग्ध इकाईयों हेतु वांछित अभिलेख।

(1) निर्धारित रूप पत्र (एनेक्जर–ए) पर पूर्ण अंकन सहित आवेदन पत्र।
(2) संस्था द्वारा स्वप्रमाणित विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0)।
(3) बैंक/वित्तीय संस्था का टर्म लोन हेतु स्वीकृति पत्र।
(4) बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा संस्था के प्रस्ताव (डी0पी0आर0) हेतु निर्गत अप्रेजल रिपोर्ट, जिसमें स्वीकृत प्लांट मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स तथा सिविल कार्य की गणना का विवरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो।
(5) किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार मूल्यवार चार्टेड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित विवरण और इस आशय का प्रमाण–पत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त बिल बाउचरों को भलीभाँति परीक्षण कर लिया गया है और वह नियमानुसार ठीक है।(एनेक्जर–ए/2)
(6) क्रय की गयी मशीन उपकरणों का वस्तुवार, मूल्यवार निर्धारित प्रारूप पर चार्टेड एकाण्टेंट द्वारा प्रमाणित विवरण और इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल बाउचर्स की अच्छी तरह जॉच कर ली गयी है और वह नियमानुसार ठीक है। बिलवार/बाउचरवार भुगतान चार्टेड एकाउण्टेंट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित का विवरण। (एनेक्जर–ए/3)
(7) निर्धारित प्रारूप पर चार्टेड इंजीनियर (सिविल) द्वारा तकनीकी सिविल कार्य का मदवार एवं लागतवार (मूल बिल की प्रमाणित प्रति सहित) प्रमाणित विवरण। (एनेक्जर–ए/7)
(8) निर्धारित प्रारूप पर चार्टेड इंजीनियर (मैकेनिकल) द्वारा प्लांट–मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स (मूल बिल की प्रमाणित प्रति सहित) प्रमाणित विवरण। (एनेक्जर–ए/8)
(9) संस्था/संगठन का पंजीकरण/सर्टीफिकेट आफ़ इनकार्पोरेशन, मेमोरेण्डम एण्ड आर्टीकिल्स आफ एसोसिएशन और समिति का बाईलाज (यदि लागू हो)/पार्टनरशिप डीड इत्यादि।
(10) संगठन के आफिस बियरर/प्रोमोटर का स्वहस्ताक्षरित बायो–डाटा।
(11) विस्तारीकरण/उच्चीकरण की दशा में, पिछले तीन वर्षों हेतु चार्टेड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित आडिटेड स्टेटमेंट और वार्षिक प्रतिवेदन।
(12) बिल्डिंग प्लान का सक्षम स्तर से अनुमोदित ब्लूप्रिण्ट एवं उद्योगशाला का भू–अभिलेख (हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में)।
(13) लघुउद्योग (एस0एस0आई0)/इण्डस्ट्रियल इण्टरप्रेनियम मेमोरैन्डम(आई0ई0एम0)/उद्योग आधार पंजीकरण इत्यादि।
(14) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र।
(15) अकृषि भूमि का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र।
(16) अग्निशमन प्रमाणपत्र (सक्षम स्तर से जारी)।
(17) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त (एफ0एस0एस0ए0आई0) लाइसेंस।

(18) परियोजना से संबधित अन्य लाईसेंस।

(19) रू0 100/–के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय कि उसके द्वारा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत समस्त अभिलेख सत्य एवं सही हैं। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। (एनेक्जर–ए/6)

(20) रू0 100/–के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर क्षतिपूर्ति अनुबन्ध (Agreement of Indemnity) (ब्याज उपादान हेतु एनेक्जर–ए/9)।

(21) कियान्वयन समय सारणी, जिसके अंतर्गतः–

(अ) भूमि अधिग्रहण की तिथि।

(ब) भवन निर्माण प्रारम्भ होने की तिथि।

(स) निर्माण पूर्ण होने की तिथि।

(द) प्लांट और मशीनरी के क्रय हेतु आदेश निर्गत करने की तिथि।

(य) प्लांट और मशीनरी के स्थापना/संस्थापन की तिथि।

(र) उत्पादन के ट्रायल की तिथि।

(ल) व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की तिथि।

8.2 ब्याज उपादन हेतु प्रस्तर 8.1 में वर्णित अभिलेख के साथ–साथ अतिरिक्त रूप से निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध कराने होंगेः–

8.2.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने (व्यवसायिक कार्य चालान अर्थात प्रथम वाणिज्यिक लेन–देन की तिथि) से संबधित पत्र (इकाई हेतु ब्याज उपादान संबंधी)।

8.2.2 निर्धारित प्रारूप पर बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ब्याज उपादान/अनुदान हेतु बैंक क्लेम प्रपत्र। (एनेक्जर–ए/14)

8.2.3 निर्धारित प्रारूप (एनेक्जर–ए/4) पर चार्टेड एकाउण्टेंट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

8.2.4 बैंक द्वारा पाँच वर्षों हेतु वर्षवार ब्याज भुगतान हेतु निर्गत प्रमाण पत्र (एनेक्जर–ए/13)

8.3 मानकीकरण प्रोत्साहन, पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण, बाजार विकास हेतु वांछित अभिलेखः–

1. निर्धारित प्रारूप (एनेक्जर–बी) पर आवेदन।
2. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव।
3. पिछले तीन वर्षों हेतु संस्था के सम्प्रेक्षित आर्थिक चिट्ठे।
4. एस0एस0आई0/आई0ई0एम0 की प्रति।
5. संस्था का पंजीकरण/सर्टीफिकेट आफ इनकारपोरेशन, मेमोरेण्डम एण्ड आर्टीकिल्स आफ एसोसिएशन और सोसायटी का बाईलॉज/पार्टनरशिप डीड इत्यादि।
6. संस्था के प्रोमोटर का बायोडाटा/पृष्ठभूमि।
7. कन्सलटेन्ट एजेंसी से प्राप्त परामर्श शुल्क की प्राप्ति रसीद, प्रमाणीकरण संस्था से प्राप्त शुल्क भुगतान की प्रति, एक्रीडिटेशन हेतु एजेन्सी से प्राप्त शुल्क भुगतान की प्रति (मानकीकरण प्रोत्साहन हेतु) ।
8. पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण हेतु भुगतान किये गये शुल्क भुगतान की प्रति।
9. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) तैयार कराने हेतु संस्थान को किये गये भुगतान की रसीद, बैंक ऋण स्वीकृति, अवमुक्त सम्बन्धी अभिलेख।
10. आयात निर्यात लाइसेंस की प्रति, भूतल परिवहन पर वास्तविक शुल्क के सापेक्ष बिल एवं रसीदों, ट्रान्सपोर्ट बिल्टी, आयातक देश से निर्गत उत्पाद माँग पत्र, उत्पाद का फाइटोसैनेटरी/हेल्थ प्रमाणपत्र, कस्टम क्लीयरेंस व ड्यूटी भुगतान की प्रति, फ्रेट चार्जेज भुगतान की प्रति, आयातक देश में पोर्ट क्लीयरेंस की प्रतियाँ (बाजार विकास प्रस्ताव हेतु)।

9. पूँजीगत अनुदान स्वीकृत एवं अवमुक्त करने की प्रकियाः

अनुदान/वित्तीय सहायता सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति और अनुमोदन के पश्चात दो समान किश्तों में जारी की जायेगी। अनुदान धनराशि अप्रेजिंग बैंक को अवमुक्त की जायेगी, जिसे बैंक द्वारा सावधि ऋण अवधि में उद्यमी/ऋण प्राप्तकर्ता के नाम से फिक्स डिपाजिट के रूप में रखी जायेगी, जिस पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा तथा अनुदान धनराशि के बराबर संस्था द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। प्रथम व द्वितीय किश्त की धनराशि व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने/ अनुदान धनराशि अवमुक्त होने के तीन वर्ष बाद उद्यमी के ऋण खाते में समायोजित की जायेगी। यदि संस्था द्वारा तीन वर्षों के पहले इकाई बन्द कर दी जाती है तो बैंक में रखी फिक्स डिपाजिट धनराशि मय ब्याज स्टेट नोडल एजेंसी/नोडल विभाग को वापस करनी होगी।

9.1 पूँजीगत अनुदान की प्रथम किश्त का अवमुक्त किया जानाः

संस्था/फर्म द्वारा टर्म लोन की 50 प्रतिशत धनराशि तथा प्रमोटर अंश की 50 प्रतिशत धनराशि व्यय कर लिये जाने, संयुक्त निरीक्षण दल (जे0आई0टी0) द्वारा भौतिक सत्यापन कर लिये जाने के उपरान्त ही अनुदान अवमुक्त किया जायेगा। संयुक्त निरीक्षण दल में निम्नवत सदस्य होगें:-

1- सम्बन्धित जनपद के उप दुग्धशाला विकास अधिकारी अथवा मण्डलीय दुग्धशाला विकास अधिकारी।
2- सम्बन्धित बैंक के प्रबंधक।
3- सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी।

उक्त के साथ ही निम्नलिखित अभिलेख जमा करने के उपरान्त अनुदान की प्रथम किस्त अवमुक्त की जायेगी :-

(1) लाभार्थी/संस्था द्वारा रू0 100/--नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर क्षतिपूर्ति अनुबन्ध (Agreement of Indemnity) पत्र। (एनेक्जर-ए/9)

(2) लाभार्थी/संस्था द्वारा रू0 100/--नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर नोटरीकृत शपथ पत्र, कि उसके द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु किसी अन्य संस्था/संगठन से वित्तीय अनुदान न तो प्राप्त किया गया है और न ही आवेदन किया गया है। (एनेक्जर-ए/10)

(3) बैंक/वित्तीय संस्था से 50 प्रतिशत टर्म लोन अवमुक्त किये जाने तथा उसके सदुपयोग किये जाने एवं बैंक द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनको राज्य द्वारा अनुदान की प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। (एनेक्जर-ए/11)

(4) चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा अपने सदस्यता नम्बर सहित लेटर हेड पर निर्धारित परियोजना हेतु किये गये वास्तविक व्यय तथा वित्त के स्रोत एवं 50 प्रतिशत या अधिक अंश पूँजी और टर्म लोन के व्यय होने संबंधी प्रमाणपत्र (एनेक्जर-ए/4)

(5) क्रय की गई मशीन उपकरणों का वस्तुवार मूल्यवार निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा विवरण और इस आशय का प्रमाणपत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल बाउचर्स की जॉच कर ली गयी है और वह ठीक है। बिलवार/बाउचरवार भुगतान चार्टर्ड एकाउण्टेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित का विवरण। (एनेक्जर-ए/3)

(6) किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार, मूल्यवार चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित विवरण तथा इस आशय का प्रमाणपत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से संबंधित समस्त बिल बाउचरों का भली-भॉति परीक्षण कर लिया गया है और वह ठीक है। (एनेक्जर-ए/2)

(7) चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार किये गये निर्माण का विवरण तथा इस आशय का प्रमाणपत्र कि किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता औद्योगिक

उपयोग हेतु ठीक है तथा इसके साथ बिल्डिंग के प्रमाणित फोटोग्राफ दिनांक सहित (एनेक्जर–ए/7)।

(8) चार्टर्ड इंजीनियर (मैकेनिकल) द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार मशीन उपकरणों का निर्धारित प्रारूप पर विवरण तथा इस आशय का प्रमाणपत्र कि क्रय किये गये समस्त मशीन उपकरण नवीन है तथा गुणवत्ता संतोषजनक है। इकाई के विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण की स्थिति में पूर्व से उपलब्ध मशीन उपकरणों की प्रमाणित सूची (एनेक्जर–ए/8)।

(9) अनुदान की प्रथम किस्त अवमुक्त से पूर्व दुग्ध आयुक्त कार्यालय द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा एवं समिति की संस्तुति के अनुसार अनुदान के भुगतान की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

9.2 पूँजीगत अनुदान की द्वितीय किस्त का जारी किया जाना:–

अनुदान की द्वितीय किस्त इकाई मे व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की पुष्टि होने के बाद संयुक्त निरीक्षण दल (जे0आई0टी0) द्वारा भौतिक सत्यापन कर लिये जाने तथा संस्था द्वारा टर्म लोन की 100 प्रतिशत धनराशि तथा प्रोमोटर अंश की 100 प्रतिशत धनराशि के साथ–साथ अनुदान की प्रथम किस्त उपयोग कर लिये जाने से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध कराने के उपरान्त जारी की जायेगी:–

(1) लाभार्थी/संस्था के प्रोमोटर द्वारा हस्ताक्षरित तथा चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा अभिप्रमाणित और बैंक द्वारा जारी प्रति हस्ताक्षरित प्रपत्र सं0 जी0एफ0आर0–19ए पर उपयोगिता प्रमाणपत्र। (एनेक्जर–ए/5)

(2) चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर परियोजना हेतु किये गये वास्तविक व्यय तथा वित्त के स्रोत एवं 100 प्रतिशत अंशपूँजी और टर्म लोन के व्यय होने संबंधी प्रमाणपत्र (एनेक्जर–ए/4)

(3) बैंक/वित्तीय संस्था से इस आशय का प्रमाणपत्र कि उनके द्वारा 100 प्रतिशत टर्म लोन और अनुदान की प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है और उन्हें राज्य द्वारा अनुदान की द्वितीय किस्त अवमुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। (एनेक्जर–ए/12)

(4) क्रय की गयी मशीन उपकरणों का वस्तुवार मूल्यवार निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित विवरण और इस आशय का प्रमाणपत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल बाउचर्स की अच्छी तरह जांच कर ली गयी है और वह ठीक है। बिलवार/बाउचरवार भुगतान चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित का विवरण। (एनेक्जर–ए/3)

(5) किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार मूल्यवार चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित विवरण तथा इस आशय का प्रमाणपत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से संबंधित समस्त बिल बाउचरों को भलीभाँति परीक्षण कर लिया गया है और वह ठीक है।(एनेक्जर–ए/2)

(6) चार्टर्ड इंजीनियर सिविल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार किये गये निर्माण का विवरण तथा इस आशय का प्रमाणपत्र कि किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता औद्योगिक उपयोग हेतु ठीक है तथा इसके साथ बिल्डिंग के प्रमाणित फोटोग्राफ दिनांक सहित। (एनेक्जर–ए/7)

(7) चार्टर्ड इंजीनियर मैकेनिकल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार मशीन उपकरणों का निर्धारित प्रारूप पर विवरण तथा इस आशय का प्रमाणपत्र कि क्रय किये गये समस्त मशीन उपकरण नवीन हैं तथा गुणवत्ता संतोषजनक है। इकाई के विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण की स्थिति में पूर्व से उपलब्ध मशीन उपकरणों की प्रमाणित सूची। (एनेक्जर–ए/8)

(8) नोटरीकृत जमानती शपथपत्र निर्धारित रूप पत्र पर दी गयी सूचनायें सत्य है इस आशय का नोटरीकृत प्रमाणपत्र संलग्न किया जायेगा। (एनेक्जर–ए/6)

(9) दुग्ध आयुक्त कार्यालय द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा की गयी स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, जिसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाये कि परियोजना का सम्पूर्ण कार्य पूर्ण हो गया है तथा इकाई व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ कर चुकी है। इकाई को द्वितीय किस्त अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की जाती है।

10. ब्याज उपादान की स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रकिया :

आवेदक संस्था द्वारा प्लांट मशीनरी, तकनीकी, सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स अथवा बैंकेबुल प्रोजेक्ट्स हेतु बैंक द्वारा वितरित ऋण के सापेक्ष भुगतान किये गये ब्याज का वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप (एनेक्जर–ए/13, ए/14)

वांछित प्रपत्रों के साथ प्राप्त होने के पश्चात सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। तत्पश्चात इकाई से नान जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर प्राधिकृत संस्था के साथ क्षतिपूर्ति अनुबंध (एनेक्जर–ए/9) सम्पादित कराया जायेगा। अनुबंध के उपरांत स्टेट नोडल एजेंसी द्वारा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ब्याज उपादन धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

11. भारत/राज्य सरकार अथवा अन्य स्रोतों से इस कार्य हेतु प्राप्त अनुदान की राशि किसी भी दशा में पेटेण्ट/डिजाइन पंजीकरण प्राविधान के अतिरिक्त अन्य में कुल अनुमन्य लागत का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह सुविधा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष दिनांक 06 जून, 2023 तक अनुमन्य होगी।

12. उ0प्र0 दुग्ध नीति–2018 के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु रियायतें एवं अनुदान सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये शासकीय व्यय की व्यवस्था दुग्धशाला विकास विभाग के आय–व्ययक में प्रति वर्ष कराया जायेगा।

13. नोडल एजेंसी/ नोडल विभाग :

13.1 दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 दुग्ध नीति, 2018 के कियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये नोडल विभाग तथा उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद इस नीति के कियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होगी।

13.2 अपर दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, नीति के पदेन सदस्य–सचिव होगें तथा वह राज्य इम्पावर्ड कमेटी के निर्देशन में कार्य करेंगे एवं योजना के कियान्वयन, संचालन, अनुश्रवण हेतु समय–समय पर आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगें। इसके लिये दुग्ध आयुक्त/परिषद कार्यालय में पृथक सेल बनाया जायेगा जो नीति के कार्यों के संचालनार्थ, समयबद्ध क्रियान्वयन, अनुश्रवण, अभिलेखों का रख–रखाव एवं आडिट आदि सम्बन्धित कार्यों को करेगा।

14. प्रशासनिक व्यय :

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों के प्रकरणो में आवेदक द्वारा स्वीकृत लाभों की धनराशि का 02 प्रतिशत के बराबर की राशि के प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति स्टेट नोडल एजेंसी को दी जायेगी व इस राशि को वितरण की राशि में से घटा कर आवेदक को उपलब्ध कराया जायेगा।

15. विविध :–

15.1 नीति के अंतर्गत स्वीकृत राशि का लेखा शीर्षक वित्त विभाग द्वारा आवंटित किया जायेगा। दुग्धशाला विकास विभाग उक्त लेखा शीर्षक के नियंत्रक व प्राक्कलन अधिकारी होगें, लेखा शीर्षक के बजट एवं पुनरीक्षित अनुमान प्रस्तावित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अनुपूरक माँग का प्रस्ताव करेंगें।

15.2 अन्य विभागों से संबंधित सुविधाओं हेतु बजट प्राविधान सम्बंधित विभागों द्वारा किये जायेगें।

15.3 दुग्ध नीति–2018 के किसी बिन्दु के स्पष्टीकरण देने का अधिकार मूल नीति के प्राविधानों को बिना प्रभावित किये, दुग्ध विकास विभाग,उ0प्र0 शासन को होगा।

15.4 इस नियमावली के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूपों में किसी प्रकार के संशोधन अथवा परिवर्तन किये जाने हेतु दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग सक्षम होंगें।

15.5 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,

19.11.18

(डॉ0 सुधीर एम0 बाबड़े)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1073(1)/53–1–2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0।
2– निजी सचिव, मा0 दुग्ध विकास मंत्री जी उ0प्र0।
3– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
4– विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– प्रमुख सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8– दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ को शासनादेश की एक अतिरिक्त प्रति समस्त संलग्नकों के साथ इस आशय के साथ प्रेषित कि पृष्ठांकन बिन्दु–1,2,3,4,5,6,7,9 एवं 19 को छोड़कर समस्त अधिकारियों को शासनादेश की प्रति संलग्नक सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9– प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29–पार्क रोड, लखनऊ।
10– सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
11– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12– समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13– निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
14– समस्त क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15– समस्त उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16– समस्त प्रधान प्रबन्धक/प्रबन्धक, दुग्ध संघ, उत्तर प्रदेश।
17– वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ
18– वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
19– गार्ड फाइल।

संलग्नकः यथोक्त।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।